संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2009 के परिपेक्ष्य में पी0एम0टी0 2009 की निजी चिकित्सा महाविघालयों के लिये घोषित मेरिट सूची के आधार पर आर0डी0गार्डी0 चिकित्सा महाविघालय, उज्जैन में रिक्त 08 सीटों पर आवंटन प्रकिया की सूचना –

माननीय सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0क्रमांक 27561–27580/09 में पारित निर्णय दिनांक 09.11.09 के परिपालन में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी0एम0टी0 2009 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यापम, भोपाल द्वारा निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविघालयों हेतु जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार प्रदेश के आर0डी0गाडी0 मेडिकल कालेज, उज्जैन से चिकित्सा महाविघालय, सागर में छात्रों द्वारा आवंटन प्राप्त कर लेने कें कारण आर0डी0गार्डी0 चिकित्सा महाविघालय, उज्जैन की रिक्त 08 सीटों पर आवंटन की कार्यवाही **दिनांक 08.12.09 एवं 09.12.09 को प्रातः 10.30 बजे से गांधी चिकित्सा महाविघालय, भोपाल** में की जावेगी । रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

1– अनारक्षित श्रेणी – 07 सीटें
2– अनूसूचित जाति – 01 सीट

दिनांक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसिलिंग में उपस्थित होना है ।
08.12.09	**स्कूटनी**	अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 1382 तक के समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 5876 तक के समस्त पात्र उम्मीदवार
09.12.09	**आवंटन**	अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 1382 तक के समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 5876 तक के समस्त पात्र उम्मीदवार

काउंसिलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी/निर्देश :–

1– **पूर्व में आयोजित काउंसिलिंग में एम0बी0बी0एस0 कोर्स पर आवंटन प्राप्त छात्रों को पुर्न आवंटन की पात्रता नहीं होगी ।**

2– **पूर्व में आयोजित काउसलिंग मे अनुपस्थित उम्मीदवार भी इस आवंटन प्रकिया में भाग ले सकते है ।**

3– पूर्व में आयोजित काउसलिंग मे किसी कारण से अपात्र घोषित उम्मीदवार अपने अभिलेख पूर्ण कराकर इस आवंटन प्रकिया मे भाग ले सकते है ।

4– आप्ट फार वेटिग के सभी उम्मीदवारो को उनके केटेगरी मे मेरिट के अनुसार काउसलिंग मे भाग लेने की पात्रता होगी ।

5– निजी दंत चिकित्सा महाविघालयों में पूर्व में आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को स्वयं की श्रेणी/संवर्ग में सीट रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर रिएलोकेशन की पात्रता होगी । यह आवंटन माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।

6– मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विभिन्न याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दिए जाने से ऐसे याचिकाकर्ता भी उपस्थित हो सकते हैं ।

7– सभी सीटो का आवंटन उम्मीदवार की व्यापम द्वारा निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविघालयों में प्रवेश हेतु घोषित श्रेणी/संवर्ग मे मेरिट के आघार पर किया जायेगा ।

8– आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा पूर्व की काउंसिलिंग में जिस श्रेणी का (आरक्षित/अनारक्षित) विकल्प दिया गया है उसी विकल्प के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी ।

9– पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को कांउसलिंग में उपस्थित होने पर जिनका आवंटन निजी दंत अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेंणी के वे उम्मीदवार जिनके माता पिता/संरक्षक की आय रूपये 1.80 लाख से अधिक है तथा समस्त अन्य पिछडे वर्ग के उम्मीदवारो को रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट पीएमटी नियम–2009 के नियम 7.0 के अनुसार **"संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल"** के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा, तदुपरान्त ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा, ।

10– मध्यप्रदेश निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नात्तक प्रवेश परीक्षा नियम, 2009 के नियम 16 (6) के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यक हैं । जो उम्मीदवार पूर्व आवंटन अनुसार किसी संस्था में अध्ययनरत् है, उन्हें संस्था प्रमुख का मूल अभिलेख संस्था में जमा होने संबंधी प्रमाण–पत्र मूलतः प्रस्तुत करने पर ही काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता होगी ।

11– किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की कांउसलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी।

अ. यदि उल्लेखित कांउसलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना कांउसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी।

ब. एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को कांउसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

स. भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा–निर्देशानुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाए **(Upper Limb)** के विकलांग उम्मीदवार एम.बी.बी.एस / बी.डी.एस. के लिए अपात्र होंगे। (म0प्र0 राजपत्र दिनांक 6 अप्रैल,09 के नियम 9.0 – आरक्षण अनुसार)

12– अ. आर0डी0 गार्डी0 चिकित्सा महाविघालय, उज्जैन की रिक्त रही 08 सीटों पर प्रवेश हेतु आवंटन प्रक्रिया के लिये दिनांक 27.11.09 को समाचार पत्रों प्रकाशित विज्ञापन निरस्त किया जाता है ।

ब. उक्त आयोजित की जा रही काउसलिंग के सम्बध मे उम्मीदवारो को पृथक से काल लेटर नही भेजे जा रहे है । इस विज्ञापन के अनुसार ही उम्मीदवारों को उपस्थित होना है । यदि उम्मीदवार इस सूचना से वंचित रह जाते है तो यह उनके स्वंय की जिम्मेदारी रहेगी । विभाग द्वारा इस सम्बध मे कोई कार्यवाही मान्य नही की जावेगी ।

13. <u>उम्मीद्वारो के अभिलेख अपूर्ण एवं गलत पाये जाने की स्थिति में काउन्सलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी जिसके लिये उम्मीद्वार स्वयं जिम्मेदार होगा ।</u>

नोटः– इस आवंटन प्रक्रिया के उक्त प्रोग्राम की जानकारी संचालनालय की बेबसाईट **mp.nic.in. medicaleducation** पर भी उपलब्ध है ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश